

(१४)


इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

अनुमति-पत्र

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल च० प्र० नगर नियोजन तथा विकास बोर्डनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत ही जाती है, किन्तु वर्ष वह न समझना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने दस्ते किसी प्रकार या किसी स्थानीय नियम या इसका स्थानीय आवकारी या व्यक्ति अथवा कभी के मालिकाना व बेकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा जो ऐसे यह अनुमति किसी के मिलियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

जिसके लिये प्रत्येकन्दा के आवार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/थो बृंदामुहूर्त पिता/पति का नाम थी कुमार त्रिपाठी यह नम्बर ५१३५५५४७ (७०५१) में नवजे में दर्शित स्थान पर जो प्रारंभना-पन के साथ प्रत्येक वर्ष तथा सवित्र के विनियुक्त वर्ष चिन के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।



नोट :— 1—यह स्वीकृति पत्र के बल-पांच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत नामांचन के अनुसार वर्षीय किया जाता है तो उसे नियमान्वयन सकता है। जिसका पूर्ण व्यव भार शार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत यिन नामांचन को अनुमति प्राप्त किये निर्माण अथवा पुनः निर्माण होती हो तो उसके निर्माणकर्ता को इष्ट दिवा जावेगा अथवा उस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत वर्णनयोग्य होता तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिवा जावेगा और उसके हटाने के सर्व का भार उसे इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संश्लेषण के साथ बहुत किया जायेगा।

2—इस अनुमति-पत्र में सहक, गली या नाली पर बढ़ा कर प्रारंभन करने के बारे का, बार्जा, तोड़िया, खींडी, क्षाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण का स्वीकृत जाहे उसके साथ नवजे में रिक्खाई भी हो, नहीं प्रदान को जावेगी।

3—मकान निर्माण से बढ़ि नाली के सहक को पढ़रो अथवा सहक या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगाड़े पिछवाड़े अथवा छप्पनके आकार के कारण ढक गई हो) को हाँग पहुँचे हो गृह स्वामी यह रेखार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अपना शांद विकास प्राधिकरण ने एक लिखित घूमना द्वारा और कोशल कहा हो पहले ही उसे अपने नवजे से सरम्भत कराकर युक्तवाल अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्दोष हो जाय, मे कर देगा।

4—गृह निर्माण के समय इष्टका भी व्यान रखना होता कि भारतीय विद्युत व्यविनियम (1956 (इविन इलोविट्सिट सत्त्व 1965) विधम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की आवकारी में ऐसे मामले पाये जाए हो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा जाना है।

5—शार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव ढक तथा अब लक बन जाने एवं उसके पुर्व ही जाने की सूचना मकान आवाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आवकारी का वाप भी देना होता जिसके निरूपण में मकान निर्मित हुआ है।

